संख्या:- 56 / एक-10-2019-7(जी)/2016 टीसी-I

प्रेषक,

राधे श्याम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, रायबरेली, अयोध्या, सुलतानपुर, बिजनौर, मेरठ, गोण्डा।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ:दिनांक: 13 फरवरी, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिं0: 27.06.2016 द्वारा बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली तथा लू-प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया गया है। आप द्वारा आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: उक्त आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **धनराशि रू0 2,24,00,000/- (रूपये दो करोड चौबीस लाख मात्र)** सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारीगणों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम/ पत्र संख्या व दिनांक:	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1-	महराजगंज, पत्रांक-3391, दिनांकः 09.02.2019	20.00
2-	रायबरेली, पत्रांक-1706, दिनांकः 05.02.2019	50.00
3-	अयोध्या, पत्रांक-720, दिनांकः 31.01.2019	75.00
4-	सुलतानपुर, पत्रांक-955, दिनांकः 22.01.2019	50.00
5-	बिजनौर, पत्रांक-855, दिनांकः 22.01.2019	20.00

Scanned by CamScanner

6-	मेरठ, पत्रांक-698, दिनांकः 11.02.2019	04.00
7-	गोण्डा, पत्रांक-530, दिनांकः 08.02.2019	05.00
	कुल योग	**224.00**
		(रूपये दो करोड चौबीस लाख मात्र)

2- शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "**2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय**" के नामे डाला जायेगा। टी0आर0-27 से आहरित धनराशि का प्रथमत: समायोजन किया जायेगा ।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अत: आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण

Scanned by CamScanner

निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(राधे श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।

5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधे श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner